	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.11.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुयी। अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन रहा है कि विवादित आराजी का पूर्व में बॅटवारा तहसीलदार के समक्ष हो चुका है एवं उसका अमल भी राजस्व अभिलेख में हो चुका है। अपील की मद संख्या 02 में दर्ज विवादित आराजी का अपीलाण्ट संख्या 02 मॉगीलाल न्यारान्यूर खातेदार है। इसी प्रकार मद संख्या 03 पर दर्ज विवादित आराजी का अपीलाण्ट संख्या 01 न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन खसरा नम्बर पर भी स्थगन जारी कर दिया। अपील की मद संख्या 05 में दर्ज विवादित आराजी में उभयपक्षकारान सहखातेदार हैं एवं एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता है। रैस्पो0 ने खसरा नम्बर 339 का विक्रय किया है। अतः रैस्पो0 ने पूर्व में हुये बॅटवारे का स्वीकार किया है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है एवं अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय नहीं है। प्रकरण में सभी पक्षकारान एक ही परिवार से हैं। तहसीलदार के समक्ष हुये बॅटवारे में गलत प्रकार से हस्ताक्षर कराये गये हैं। खसरा नम्बर 339 सभी सहखातेदारो ने सम्मिलित रूप से विक्रय किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एंव वाद बहुलता को रोकने के लिये आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी है। साधारणतः अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2024 का है, जो दिनांक 21.10.2024 तक प्रभावी है। हस्तगत अपील दिनांक 24.09.2024 को इस न्यायालय में पेश हुई है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 18.09.2024 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के	

विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य समझते हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)